पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

क्र. 2798/NREGS-MP /सा.अ./ 07 भोपाल, दिनांक 17/09/2007

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला/जिला पंचायत –झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा एवं देवास (मध्यप्रदेश)

विषयः– सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए आउटसोर्स एजेंसी नियुक्त करने बाबत।

संदर्भः– म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, क्र.–जी–25/ए/सा.अ./एमपीआरईजीएस/2007, दिनांक 10 मार्च 2007 ।

विषयांतर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत जिलों की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के लिए आऊटसोर्स एजेंसी नियुक्त करने के संबंध में संदर्भित पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिलें की 10 से 15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही करना है। किन्तु सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए आऊटसोर्स एजेंसी चयन की प्रक्रिया में जिलों द्वारा संदर्भित पत्र के पालन में एकरूपता के साथ कार्यवाही नही करने की सूचना प्राप्त हो रही हैं।

अतः सामाजिक अंकेक्षण के कार्य के लिए आऊटसोर्स एजेंसी चयन में निम्न बिन्दुओं का पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न बिन्दुओं में से किसी भी एक बिन्दु का उल्लंघन सामाजिक अंकेक्षण आऊटसोर्स एजेंसी चयन में किया गया है तो तत्काल प्रभाव से निविदा को प्रभाव शून्य करते हुए निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

1. आऊटसोर्स एजेंसी का चयन निविदा के द्वारा किया जाए।
2. संपूर्ण जिलें के लिए एक एजेंसी ही निर्धारित की जाए।
3. एक माह में केवल एक जनपद पंचायत की 7 ग्राम पंचायतों का रेण्डम पद्धति से चयन कर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराया जाए।
4. इस प्रकार एक वर्ष में एक जिलें में अधिकतम 84 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण आऊटसोर्स एजेंसी द्वारा किया जाऐं।
5. निविदा की अवधि 2 वर्ष होगी। इस अवधि में चक्रानुक्रम जिलें की एक जनपद पंचायत एक माह के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी जिलें में 4 विकास खंड है तो वहां पर

निविदा अवधि (दो वर्ष) में 6 बार विकास खंड की 7 – 7 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण होगा। इसी प्रकार यदि किसी जिलें में 13 जनपद पंचायतें हैं तो वहां पर 11 जनपद पंचायतों में दो बार और 2 जनपद पंचायतों में एक बार सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त बिन्दुओं का पालन किया जाना अनिवार्य है।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव/विकास आयुक्त
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

पृ. क्र. 2799/ NREGS-MP /सा.अ./ 07 भोपाल, दिनांक 17/09/2007

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त रीवा, जबलपुर, सागर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना एवं होशंगाबाद संभाग।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव/विकास आयुक्त
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्य प्रदेश शासन, भोपाल